कार्यालय कलेक्टर (जन जातीय कार्य विभाग) जबलपुर म0प्र0

(E-mail -actwjbp@mp.gov.in)

जबलपुर दिनांक 23/02/2023

क्रमांक /3388/ आ0सहा0 / आ.वि. / 2023

प्रति,

समस्त प्राचार्य / संचालक / डीन / रजिस्टार,
शासकीय / अशासकीय विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान
जिला– जबलपुर

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2022–23 में आवास सहायता एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एप्लाई आवेदनो के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग,जबलपुर के पत्र क्र.66 / विकास शाखा–2 / 2023 जबलपुर दिनांक 03.01.2023 ।

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है, कि शैक्षणिक वर्ष 2022–23 हेतु विभागीय पोर्टल MPTAASC में आवास सहायता एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश डाटा / फीस डेटा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि बहुत कम विद्यार्थियों ने आवास सहायता एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एप्लाई किये है। इस कारण NIC PORTAL 2.0 में आवेदन किये जाने हेतु दिनांक 20 फरवारी 2023 से बढाकर 25 मार्च 2023 कर दी गई है। अतः समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक बढाये जाने संबंधी जानकारी सूचनापटल पर प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन किया जाकर पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जा सकें साथ ही किये गये आवेदनो की तुलना में स्वीकृति की कार्यवाही भी समतुल्य हो सके।

आयुक्त महोदय, संभाग के द्वारा प्रत्येक बुधवार को विडियो कांफ्रेस के माध्यम से ली जाने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आवास सहायता योजना की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि MPTAASC PORTAL अंतर्गत वर्ष 2022–23 में वेरीफिकेशन की कार्यवाही हेतु आवेदन संस्था स्तर पर पेंडिग प्रदर्शित हो रहे है।तथा साथ ही NIC PORTAL अंतर्गत वर्तमान में स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवास सहायता अंतर्गत संस्था द्वारा विद्यार्थियों के आवेदनो में आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रपोजल नोडल संस्थाओं को प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्वीकति की कार्यवाही सम्पन्न नही हो रही है। अतः समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे संस्था मे प्रवेशित छात्र– छात्राओं से आवश्यक दस्तावेज लेते हुए संबद्ध नोडल संस्था को प्रस्तुत कर स्वीकृति की कार्यवाही कराकर कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें इस संबध में समस्त संस्थाओं को पत्र द्वारा एवं दूरभाष द्वारा संपर्क कर कार्यावाही किये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जाता रहा है। किंतु कार्यवाही संस्था स्तर पर पेडिंग प्रदर्शित होने से उच्च स्तरीय कार्यालयों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की जाती है। छात्र–छात्राएं यदि आवास सहायता एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रहते हैं तो इसकी जबाबदारी स्वय संस्था प्रमुख की होगी।अतः समस्त संस्थाए यथा शीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग,जबलपुर

पृ0 क्रमांक / 3388A / ज.जा.का.वि. / 2022

जबलपुर दिनांक 23/02/2023

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

समस्त प्राचार्य सूचनार्थ

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर

1. महाविद्यालय वेबसाइट में अपलोड
2. द्वारा सूचना पटल / छात्रावास सूचना पटल
(3) परीक्षा प्रकोष्ठ सूचना पटल. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु